पत्र सं०–05/पी०–12/2024– 20(5)ब, स्वा०

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
राँची।

राँची, दिनांक– 20.07.2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत राँची जिला के अधीन क्रियान्वित विभिन्न प्रकार के जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण की योजनाओं हेतु कुल 1,82,35,638/–(एक करोड़ बेरासी लाख पैंतीस हजार छः सौ अड़तीस) रुपए मात्र का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत राँची जिला के अधीन क्रियान्वित विभिन्न प्रकार के जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण की योजनाओं हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेशों के आलोक में निम्नतालिका के अनुसार कुल 1,82,35,638/–(एक करोड़ बेरासी लाख पैंतीस हजार छः सौ अड़तीस) रुपए मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारित/ योजना की कुल लागत राशि	अबतक आवंटित राशि	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि
1	सदर अस्पताल, राँची के भवन के बाहरी भाग के रंग–रोगन की योजना	40(5) यो० 04.11.2025	99,98,600	99,43,253	0	99,43,253	99,43,253
2	Consturction of Boundary Wall, Toilet Block with Sanitary Work, Deep Boring in the campus of HWC Building DIRSIR, Sonahatu, Ranchi.	22(5) ब यो० 24.09.2024	23,45,350	16,99,695	0	16,99,695	16,99,695
3	सदर अस्पताल, राँची के परिसर में अवस्थित झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद् कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण की योजना	32(5)ब यो० 09.10.2025	70,07,100	65,92,689	0	65,92,690	65,92,690
					Total	1,82,35,638	

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला) 8/7/2026
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेशों की सभी शर्त्ते यथावत् रहेंगी। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं योजना के कार्यकारी एजेंसी द्वारा स्वीकृत्यादेशों में अंकित सभी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. व्यय का विकलन बजट शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–110–अस्पताल तथा औषधालय–48–जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण–01–जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य (विपत्र कोड–20एस–4210–01–110–48–01–05–45) के अधीन उपबंधित राशि से होगा।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे, जो डिपोजिट कार्य हेतु विपत्र के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या–1, राँची को पुस्तांतरण द्वारा रिमिटान्स शीर्ष–8782, स्थानीय निधि जमा–102 में चालान के माध्यम से राशि जमा करेंगे।

5. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

6. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक–2561 वि०, दिनांक–17.04.98 एवं 1800 (वि०) दिनांक–15.07.2003 के आलोक में राँची कोषागार, राँची से की जाएगी।

7. राशि निकासी के पूर्व विपत्र/चेक पर आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा एवं यह प्रमाणित किया जाएगा कि प्रस्तुत विपत्र/चेक प्रशासनिक स्वीकृत राशि एवं आवंटित राशि के अन्तर्गत है। संबंधित कार्यकारी एजेन्सी के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरुप हो।

8. जिस शीर्ष के अन्तर्गत राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अन्तर्गत व्यय भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अन्तर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

10. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन संबंधित कार्यकारी एजेन्सी के अभियन्ताओं का दायित्त्व होगा।

11. योजना में स्वीकृत राशि अथवा लागत राशि (एकरारित राशि) में से जो कम हो उसके अनुरूप ही राशि का व्यय किया गया है, यह योजना के संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(आनन्द कुमार सिन्हा) अवर सचिव	20(S)a, (ललित मोहन शुक्ला) 20.07.2026 संयुक्त सचिव	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

12. योजना में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान के लिए योजना के कार्यकारी एजेंसी के संबंधित अभियंता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे। साथ में, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का कार्यान्वयन झारखण्ड पी०डब्ल्यू०डी० कोड के सुसंगत नियमों एवं सरकार द्वारा निर्गत आदेशों/परिपत्रों के अनुरूप किया गया हो।

13. आवंटित राशि से संबंधित व्यय विवरणी प्रत्येक महीने के 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:– 20(5)ब, राँची, दिनांक:– 20.07.2026

प्रतिलिपि:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. उपायुक्त, राँची।
3. कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं०–01, राँची।
4. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
5. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
6. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

8/7/2026
(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

20(5)ब.
20.07.2026

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वितीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 5-P-12/2024/20(5)B

दिनांक - 21-Jul-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 42100111048010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल तथा औषधालय 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण 01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित 05 - निर्माण State Scheme	45272	RNCMED013 PRABHAT KUMAR C.S.CUM C.M.O.RANCHI 45 - निर्माण कार्य	18,235,638.00 रुपये एक करोड बयासी लाख पैतीस हजार छः सौ अडतीस

State Scheme : STATE HEALTH INFRASTRUCTURE STRENGTHENING & UPGRADATION UPTO DISTRICT LEVEL(1691)

Centeral Scheme : NA

योग: 18,235,638.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड बयासी लाख पैतीस हजार छः सौ अडतीस

(AJOY KUMAR SINGH)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

Run Date: 21/7/2026

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S421001110480105445 निर्माण कार्य	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranchi	RNCMED013	Prabhat Kumar	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	₹1,82,35,638.00 (45272)	₹1,82,35,638.00

कुल आवंटित राशि :- ₹1,82,35,638.00 (एक करोड़ बयासी लाख पैंतीस हजार छः सौ अड़तीस) रूपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY